न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 137 / 2017

1 बस्तीराम पुत्र मालाराम
2 दिनेश कुमार पुत्र मालाराम
3 अनारी देवी पत्नी मालाराम
4 शिवपाली देवी पत्नी मालाराम
समस्त जातियान मालियान निवासीगण पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2015
राज्य सरकार बनाम बस्तीराम वगै. मुकदमा नम्बर
182 / 2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थिति :
1. श्री जुगलकिशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 8/8/17

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 182/2011 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी ने एक दावा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 02.07.2011 को उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम पापड़ा कलां के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 0.17 हैक्टेयर अवस्थित है। जो वर्तमान में बस्तीराम, दिनेश कुमार पिता मालाराम हिस्सा 2/3, अनार देवी पत्नी मालाराम, शिवपाली देवी पत्नी स्व. मालाराम हिस्सा 1/3 जाति माली निवासी पापड़ा कलां साहदेह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है परन्तु उक्त वर्णित भूमि के खातेदारान ने उपरोक्त भूमि में अवैध रूप से बजरी खनन किया है तथा बजरी निकाल कर गहरे गढढे कर दिये है खोदी गई भूमि काश्त के लायक नहीं रह गई है। इस कारण खातेदारान की खातेदारी समाप्त कर भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे। वाद—पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाये। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस तलबी जारी किये गये। प्रतिवादी/अपीलान्ट दिनांक 25.11.2014 को हाजिर अदालत आये तथा श्री बृजमोहन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब में चल रही थी कि दिनांक 11.06.2015 को पत्रावली को कैम्प कोर्ट बागोली में रखकर उक्त प्रकरण में परिवादी/अपीलान्टस को बिना किसी सुनवायी का अवसर दिये बिना ही अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपने मनमाने ढंग से प्रकरण का दिनांक 11.06.2015 को ही कर दिया गया जिसकी प्रतिवादी/अपीलान्टस को कोई सूचना नहीं थी अब दिनांक 10.09.2017 को अपीलान्टस ने रिकार्ड की नकल लेने पर ज्ञान हुआ है तथा निर्णय दिनांक 11.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि न्यायालय ने इस प्रकरण का निस्तारण कानूनी प्रकिया को अपनाते हुए नहीं किया है क्योंकि दिनांक 11.06.2015 को पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब के लिए नियत थी लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पत्रावली को कैम्प कोर्ट बागोली में ले जाकर प्रतिवादी/अपीलांन्टस संख्या 1 व 2 लगायत 4 को बिना सूचना दिये हुये ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया जबकि प्रतिवादी/अपीलान्टस संख्या 1 व 2 लगायत 4 का जवाब देही इस प्रकरण में नहीं हुई थी तथा अपीलान्टस/प्रतिवादी को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। राजस्व कैम्प के केवल आपसी सहमति वाले प्रकरणों का ही निस्तारण दोनो पक्षों की सहमति या राजीनामा के आधार पर किया जाता है। अपीलान्ट संख्या 1 व 2 लगायत 4 की उपस्थित नहीं है। हल्का पटवारी ग्राम पापड़ा कलां ने अपनी मौका रिपोर्ट में भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 0.17 हैक्टेयर में प्रतिवादी/अपीलान्टस द्वारा अवैध बजरी खनन करना बताया है परन्तु पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट अस्पष्ट है। इस रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने यह नहीं लिखा है कि इस खसरा नम्बर 26 की कितनी भूमि में बजरी खनन कार्य किया गया है तथा बजरी खनन कार्य कैसे किया गया है तथा भूमि में कितनी गहरायी तक बजरी खनन कार्य किया गया है तथा बजरी खनन क्या आज भी मौके पर हो रहा है इन सब तथ्यों पर पटवारी हल्का ने स्पष्ट रिपोर्ट पेश नही की है। उसमें किसी भी खातेदार के हस्ताक्षर नहीं तथा ना ही खातेदारों को सूचित करके मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट देखने से यह साफ जाहिर होता है कि हल्क पटवारी ने अपने कार्यालय में ही उक्त रिपोर्ट राजनैतिक प्रभाव में आकर गलत रूप से तैयार की है। पटवार हल्का ने इस प्रकरण में फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की उस समय तहसीलदार उदयपुरवाटी मौके पर उनके साथ गये हो तथा खसरा नम्बर 26 का निरक्षण किया जो एवं मौके पर ही उसके द्वारा फर्द रिपोर्ट तैयार की गई हो ऐसा फर्द मौका रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं है। जबकि इस मौका रिपोर्ट पर न भू.अभिलेख निरीक्षक के व ना ही तहसीलदार के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 0.17 है. ग्राम पापड़ा कलां से कभी कोई बजरी खनन नहीं किया गया है मौके पर भूमि समतल है तथा काश्त काबिज है तथा भूमि में वर्षो पुराने खेजड़ी व बबूल के वृक्ष खडे है तथा मौके पर बाजरे व ग्वार की फसल काश्त कर रखी है। काश्तकार पिछले 40 सालों से इस भूमि में काश्त करते आ रहे है। मौके पर फसल काश्त का इन्द्राज खसरा गिरदावरी वर्ष 2071–2072 में भी हल्का पटवारी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 26 में बाजरे व ग्वार की फसल काश्त करना दर्शाया है दोनों रिपोर्ट विरोधाभाषी है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथं प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में विवादित भूमि खसरा नम्बर 26 वाके ग्राम पापड़ा कलां में मौके पर खनन किया हुआ है। मौके पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व लगभग 20–25 फीट के खड्डे बने हुये है। उक्त खसरा नम्बर को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है। खातेदारान द्वारा बिना भू–रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है। भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में निम्नलिखित विधिक त्रुटियां पाई गई है।

1 प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तामील की प्रकिया विधि सम्मत तरीके से संपादित नहीं की गई है।

2 प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद बिन्दु कायम नहीं किये गये है।

अनिल कुमार IIRAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3 विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण के लिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये है।

4 पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय निम्न विधिक बिन्दुओं की पालना नहीं की गई है।

(अ) स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है।
(ब) पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है। इसके अभाव में खनन की गई भूमि के रकबे का आंकलन नहीं हो सकता है।
(स) सहखातेदारी की भूमि में नजरी नक्शे के अभाव में किस पक्षकार द्वारा कितनी भूमि, कितने रकबे में खनन किया गया है। यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
(द) खनन की गई भूमि के फोटोग्राफ/गुगल मेप भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

5 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत कृषि भूमि में खनन किये गये तत्व(खनिज) का पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, जो कि माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाना होता है, ना ही पक्षकारों को शास्ति का नोटिस दिया गया।

6 पत्रावली पर खनन किये गये खनिज की जब्ती की फर्द तैयार नहीं की गई है।

7 खनन के संदर्भ में खान विभाग को सूचना दिये जाने का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

8 अवैध खनन के संदर्भ में माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से पंचनामा तैयार करवाकर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। निर्णय में विवेचित अन्य बिन्दुओं की भी पालना कर संपूर्ण तथ्यों को पुनः निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विधिक प्रकिया अनुसार विचारण न्यायालय को किसी भी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने से पूर्व तहसीलदार

अनिल कुमार III RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमिधारक से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक बिन्दुओं की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय में विवेचित बिन्दुओं की आवश्यक रूप से पालना कर, अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय आगामी दो माह में आवश्यक रूप से पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर